रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1553] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 17, 2007/अग्रहायण 26, 1929
No. 1553] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 17, 2007/AGRAHAYANA 26, 1929

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर, 2007

का.आ. 2139(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 532(अ), तारीख 8 अप्रैल, 2005 द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 3 के गुना बाईपास खंड पर (जिसे इसमें इसके पश्चात् खंड कहा गया है) के कि.मी. 319.700 से कि.मी. 332.100 तक के भूखंड को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) सौंपा गया था ।

और प्राधिकरण ने, उक्त अधिनियम की धारा 14 के उपबंधों के अनुसरण में, उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के उक्त खंड के विकास के लिए मैसर्स गुना इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, 501, हेरीटेज प्लाजा, जे पी रोड, अंधेरी वेस्ट, मुम्बई - 400053 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "रियायतग्राही" कहा गया है) के साथ करार किया है ।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग खंड/ राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थायी पुलों/अस्थायी पुलों के उपयोग के लिए किसी व्यक्ति द्वारा फीस का संग्रहण) नियम, 1997 के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त खंड के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन में अंतर्वलित व्यय, विनिधान की गई पूंजी पर ब्याज, युक्तियुक्त प्रत्यागम, यातायात के परिमाण तथा प्राधिकरण और उक्त रियायतग्राही के बीच हुए ऐसे करार की अवधि को ध्यान में रखते हुए, अधिसूचित करती है कि मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 के उक्त खंड के उपयोग के लिए यांत्रिक यानों पर उस अधिसूचना के साथ उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर फीस उद्ग्रहीत और संगृहीत की जाएगी और उक्त रियायतग्राही को उक्त खंड के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से अथवा इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, जो भी बाद में हो, उक्त करार की समाप्ति की तारीख तक फीस संगृहीत करने और प्रतिधारित करने के लिए प्राधिकृत करती है ।

अनुसूची

राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 3 के उक्त खंड के उपयोक्ताओं से वसूल की जाने वाली आधारिक फीसों की दरें जो मध्यप्रदेश राज्य में प्रचालन के प्रथम वर्ष में लागू हैं।

यह फीस एक अवस्थान पर संगृहीत की जाएगी।

क्रम सं.	**यान का प्रकार**	**प्रचालन के प्रथम वर्ष में एक तरफ से एक यात्रा के लिए प्रति यान की फीस की आधारित दर (रूपयों में)**
1.	2.	3.
1.	कार, यात्री वैन अथवा जीप	10.00
2.	हल्के वाणिज्यिक यान (एल.सी.वी)	20.00
3.	ट्रक या बस	60.00
4.	बहुधुरीय यान (दो धुरी से अधिक)	100.00

टिप्पण :

1. परिभाषाएं :-- इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए :--

(क) "वास्तविक फीस" से उक्त खंड के प्रयोग के लिए सड़क प्रयोक्ताओं से उक्त अनुसूची में दी गई फीस की दर के आधार पर वास्तव में प्रभारित की गई फीस अभिप्रेत है और वह फीस निकटतम रुपए में पूर्णांकित की जाएगी।

(ख) "वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख" से वह तारीख अभिप्रेत है जिसको मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 3 के उक्त खंड पर वाणज्यिक प्रचालन प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच किए गए करार के उपबंधो के अनुसार उक्त खंड के पूरा होने पर स्वतंत्र परामर्शदाता द्वारा, यथास्थिति, समापन प्रमाणपत्र या अंतरिम प्रमाणपत्र जारी किए जाने के पश्चात् प्रारंभ होता है।

(ग) "समाप्ति की तारीख" से वह तारीख अभिप्रेत है जिसको प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच किया गया रियायत करार, उक्त करार के उपबंधों के अनुसार समाप्त होता है या समापन नोटिस द्वारा समाप्त किया जाता है।

(घ) "स्थानीय निजी यातायात" से कार, यात्री वैन या जीप सहित ऐसा कोई निजी यान अभिप्रेत है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो सामान्यतः ऐसे स्थान पर निवास करता है या कार्य करता है जिस तक सामान्यतः उक्त खंड के उस भाग का उपयोग करके ही पहुंचा जा सकता है, रियायतग्राही के पास रजिस्टर है और इस प्रकार उसके कार्य करने या निवास स्थान को या उससे सामान्य यात्रा के दौरान उक्त खंड के उस भाग पर होकर जाने के लिए ऐसे यान का उपयोग करने की आवश्यकता होती है ;

(ङ) "स्थानीय वाणिज्यिक यातायात" से माल या यात्रियों को लाने ले जाने में लगी बस, ट्रक, हल्का मोटर यान या टैक्सी सहित ऐसा वाणिज्यिक यान अभिप्रेत है जो रियायतग्राही के पास रजिस्टर है और उक्त खंड पर सामान्यतः चलता है ;

(च) उन शब्दों और पदों का जो इस अधिसूचना में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं है किन्तु मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 3 के उक्त खंड की बाबत प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच किए गए करार में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उक्त करार में है।

2. **पूर्वोक्त अनुसूची के क्रम सं. 4 पर बहुधुरी यान के अंतर्गत अर्थमूविंग उपस्कर और भारी संनिर्माण मशीनरी भी हैं ।**

3. फीस की आधारिक दर को प्रचालन अवधि के दौरान प्रत्येक दो वर्ष के पश्चात् दस प्रतिशत (10 प्रतिशत) की दर पर पुनरीक्षित किया जाएगा और इस प्रकार पुनरीक्षित दर उस मास के पहले दिन से लागू होगी जिसमें फीस का संग्रहण प्रारंभ होता है ।

4. निम्नलिखित प्रकार के यानों को अनुसूची में ऊपर विनिर्दिष्ट फीस से छूट प्राप्त होगी अर्थात् :-

(i) यान-

(अ) जो "अति महत्वपूर्ण व्यक्ति" प्रतीक वाले हैं या सरकारी तौर पर निम्नलिखित के हैं :--

(क) भारत के राष्ट्रपति ;

(ख) भारत के उपराष्ट्रपति ;

(ग) राज्य के राज्यपाल अथवा संघ राज्यक्षेत्र के उपराज्यपाल ;

(घ) भारत के शासकीय दौरे पर उच्च पदस्थ विदेशी व्यक्ति ;

(ङ) "सीडी"/"सीसी" नंबर प्लेटों की कारों का उपयोग कर रहे भारत में रह रहे विदेशी राजनयिक ;

(च) राज्य सभा के सभापति अथवा लोक सभा के अध्यक्ष या राज्य विधान परिषद् के सभापति या राज्य विधान सभा के अध्यक्ष अथवा संघ अथवा राज्य के मंत्री या लोक सभा या राज्य सभा में या ऐसे राज्य विधानमंडलों में विरोधी दल के नेता, जिनका दर्जा कैबिनेट मंत्री का है और यदि वे स्वयं यान में हों ; या

(छ) संसद सदस्य संपूर्ण देश में या राज्य की विधान सभा के सदस्य या राज्य की विधान परिषद् के सदस्य अपने-अपने राज्यों में, यदि, वह यथास्थिति, संसद या राज्य के संबंधित विधान-मंडल, द्वारा जारी पहचान पत्र प्रस्तुत करते हैं ;

(आ) शौर्य पुरस्कारों, जैसे परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र का विजेता यदि ऐसा पुरस्कार प्राप्तकर्ता ऐसे पुरस्कार के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से अधिप्रमाणित अपना फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करता है ;

(ii) रक्षा यान जिसके अंतर्गत भारतीय पथकर (सेना और वायु सेना) अधिनियम, 1901 के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों (जो नौसेना पर भी लागू है) छूट के लिए पात्र यान भी हैं, पुलिस यान, अग्नि शमन यान, एम्बुलेंस, अन्त्येष्टि यान, तार विभाग के यान और केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार के कर्तव्यारूढ़ यान ।

5. रियायतग्राही स्थानीय निजी यातायात और स्थानीय वाणिज्यिक यातायात से निम्नलिखित रियायती दरों से अधिक कोई फीस संगृहीत नहीं करेगा, अर्थात् :-

(क) स्थानीय निजी यातायात : फीस का पच्चीस प्रतिशत ;

(ख) स्थानीय वाणिज्यिक यातायात : फीस का पचास प्रतिशत :

परंतु यदि उक्त स्थानीय यातायात द्वारा निर्बाध उपयोग के लिए कोई पृथक सेवा लाइन खुली है तो रियायतग्राही ऐसे स्थानीय यातायात से वास्तविक फीस उद्‌गृहीत और संगृहीत करेगा यदि वे राजमार्ग का उपयोग करते हैं ।

6. फीस की दर, फीस के संदाय से छूट प्राप्त यानों के प्रवर्ग और रियायतग्राही का नाम, पता टेलीफोन नंबर जिसे शिकायत, यदि कोई हो, संबोधित की जानी चाहिए, पथकर चौकी से 500 मी. आगे, पथकर चौकी से 100 मी. आगे और पथकर चौकी पर भी सहजदृश्य रूप से और प्रमुख रूप से संप्रदर्शित की जाएगी और संप्रदर्शन बोर्ड की ऊंचाई और अक्षरों का आकार इस प्रकार का होगा कि चालकों के लिए संप्रदर्शन बोर्ड का पढ़ना आसान हो ।

7. यदि उक्त यान छः बजे सुबह से अगले दिन सुबह छः बजे के दौरान एक से अधिक बार उक्त खंड का उपयोग करता है तो उपयोगकर्ता, पहली यात्रा में ही उक्त प्लाजा को पार करते समय वास्तिवक फीस के डेढ़ गुने का संदाय कर सकता है ।

8. रियायतग्राही, वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से कम से कम 10 दिन पहले इस अधिसूचना का सार दो स्थानीय समाचार पत्रों में (जिनमें से एक स्थानीय भाषा में होगा) प्रकाशित करेगा, जिसमें इस अधिसूचना के उपबंधो के अनुसार वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख का भी उल्लेख होगा और ऐसा सार, इस अधिसूचना के अनुसार पुनरीक्षित फीस को प्रभावी करने से 10 दिन पूर्व प्रति वर्ष पुनः प्रकाशित भी किया जाएगा ।

9. प्रयोक्ताओं पर प्रभारित की जाने वाली वास्तविक फीस की संगणना रियायतग्राही द्वारा की जाएगी और प्रतिवर्ष 31 मार्च के बाद किंतु पुनरीक्षित दर प्रभावी होने से कम से कम 45 दिन पहले, यथासंभव शीघ्र विधिमान्यता के लिए प्राधिकरण को भेजी जाएगी जिससे कि प्राधिकरण, फीस पुनरीक्षण प्रस्ताव की प्राप्ति के 15 दिन की अवधि के भीतर कोई टीका टिप्पणियां देगा या भेजेगा अथवा स्पष्टीकरणों के लिए अनुरोध करेगा और यदि प्राधिकरण इस अवधि के दौरान टीका टिप्पणी नहीं देता या स्पष्टीकरण नहीं मांगता है तो रियायतग्राही द्वारा यथा प्रस्तावित पुनरीक्षित फीस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित की गई समझी जाएगी ।

[फा. सं. आरडब्ल्यू/एनएच-37011/47/2007-पीआईसी]

प्रभाकर, उप-सचिव

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(Department of Road Transport and Highways)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th December, 2007

S.O. 2139(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O. 532 (E), dated the 8th April, 2005, issued under section 11 of the National Highways Authority of the India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from Km 319.700 to Km 332.100 on Guna Bypass section (hereinafter referred to as the section) of the National Highway number 3 in the State of Madhya Pradesh to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority")';

And whereas pursuant to the provisions of section 14 of the said Act, the Authority has entered into a concession agreement with M/s Guna Infrastructure Limited, 501, Heritage Plaza, J.P. Road, Andheri West, Mumbai - 400053 (hereinafter referred to as the "Concessionaire") for the development of the said section of the said National Highway;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways (Collection of Fees by any person for the use of section of National Highways/permanent bridge/temporary bridge on National Highway) Rules, 1997, the Central Government, having regard to the expenditure involved in building, maintenance, management and operation of the said section, interest on the capital invested, reasonable return, the volume of traffic and the period of said agreement between the Authority and the Concessionaire, hereby notifies that there shall be levied and collected fees on mechanical vehicles for the use of the said section of the National Highway number 3 in the State of Madhya Pradesh at the rates specified in the Schedule annexed to his notification and authorizes the said Concessionaire to collect and retain the fees on and from the date of commercial operation of the said section or the publication of this notification in the Official Gazette, whichever is later, till the termination date.

SCHEDULE

Rates of base fees to be recovered from the users of the section on the National Highway No. 3 which is applicable in the first year of operation in the State of Madhya Pradesh.

The fee shall be collected at one location.

Serial number	Category of vehicle	Base rate of fee per vehicle for one way trip in the Ist year of operation (in rupees)
(1)	(2)	(3)
1.	A Car, passenger van or jeep	10.00
2.	Light Commercial Vehicle (LCV)	20.00
3.	Truck or Bus	60.00
4.	Multi Axle Vehicle (>2 axle)	100.00

Notes:

(1) Definitions, - For the purposes of this notification,-

(a) "actual fees" means the fees actually charged from the road users of the said section on the basis of rate of fee given in the said Schedule and shall be rounded off to the nearest rupee.

(b) "date of commercial operation" means the date on which the commercial operation of the said section of the National Highway number 3 in the State of Madhya Pradesh begins after issue of the Completion Certification or the Provisional Certificate, as the case may be, by the Independent Consultant, upon completion of two laning of the said section of the said National Highway in accordance with the provisions of the said agreement between the Authority and the Concessionaire;

(c) "termination date" means the date on which the said agreement between the Authority and the Concessionaire expires pursuant to the provisions of the said agreement or is terminated by a termination notice;

(d) "local personal traffic" means any personal vehicle including car, passenger van or jeep which is registered with the concessionaire by a person who normally resides or works at a place that can normally be approached only by using a part of the said section and therefore, requires to use such vehicle for commuting on that part of the said section in the course of normal travel to and from his place of work or residence;

(e) "local commercial traffic" means any commercial vehicle, including bus, truck, light motor vehicle or taxi engaged in carrying goods and passengers which is registered with the Concessionaire and plying routinely on the said section;

(f) words and expressions used in this notification and not defined but defined in the agreement entered into between the Authority and the Concessionaire, in respect of the section of the National Highway number 3 in the State of Madhya Pradesh, shall have the meanings respectively assigned to them in the said agreement.

2. Multi Axle Vehicle at serial number 4 of the aforesaid schedule includes earth-moving equipments and heavy construction machinery.

3. The base rate of fee shall be revised at the rate of ten percent (10%) every two years during the operation period and the fee so revised shall be applicable from the Ist day of the month in which the collection of fee commenced.

4. The following type of vehicles shall be exempted from the fee specified in the schedule, namely:-

(i) Vehicles –

(A) having "VIP" symbols or officially belonging to:-

a) the President of India;

b) the Vice – President of India;

c) the Governor of a State and the Lt. Governor of a Union Territory;

d) a Foreign Dignitary on State visit to India; and

e) a Foreign Diplomat stationed in India using cars with "CD"/"CC" number plates;

f) the Chairman of Rajya Sabha or the Speaker of Lok Sabha or the Speaker of State Legislative Assembly or the Chairman of State Legislative Council or a Minister for the Union or State or Leader of Opposition in Lok Sabha or Rajya Sabha or State Legislatures having the Status of Cabinet Minister if he is sitting in the vehicle; or

g) a Member of Parliament in the entire country or a Member of Legislative Assembly of a State or a Member of Legislative Council of a State, in the respective State if he produces his

Identity Card issued by Parliament or the concerned Legislature of a State, as the case may be;

(B) belonging to winner of Gallantry awards such as Param Vir Chakra, Ashok Chakra, Maha Vir Chakra, Kirti Chakra, Vir Chakra and Shaurya Chakra, if such awardee produces his photo Identity Card duly authenticated by the Competent Authority for such award;

(ii) defence vehicles, including those eligible for exemption in accordance with the provisions of the Indian Toll (Army and Air Force) Act, 1901 and the rules made thereunder (as extended to Navy), Police vehicles, Fire fighting vehicles, Ambulances, Funeral vans, Post and Telegraph Department's vehicles, Central and State Government vehicles on duty.

5. The Concessionaire shall not collect any fee from local personal traffic and local commercial traffic in excess of the following discounted rates, namely :-

(a) local personal traffic : twenty five per cent. of the fee.

(b) local commercial traffic : fifty per cent. of the fee.

Provided, that if a separate service lane is opened for free use by said local traffic, the concessionaire shall levy and collect actual fees from such local traffic if they use the highway.

6. The rate of fee, the Categories of vehicles exempted from payment of fee and the name, address and telephone number of Concessionaire to whom complaints, if any, should be addressed, shall be conspicuously and prominently displayed 500 meters ahead of the toll booths, 100 meters ahead of the toll booths and at the toll booths also, the height of the display boards and size of letters being such that the drivers can easily read the display boards.

7. If the vehicle uses the said stretch more than once during 6 A.M. to next day upto 6 A.M., the user shall have the option to pay one

and half times of the actual fee while crossing the plaza in the first trip itself.

8. The concessionaire shall publish substance of this notification in two local newspapers (one of which shall be in vernacular language), which shall also state the date of commercial operation as per the provisions this notification, at least ten days prior to the date of commercial operation and such substance shall also be repeated, ten days prior to giving effect to revised fees as per this notification.

9. The actual fees to be charged to users shall be computed by the Concessionaire and sent to the Authority for validation as soon as possible after 31st March, but at least forty-five days before the revised rate is to be made effective so as to enable the Authority to provide any comments or seek clarifications if any, within a period of fifteen days from the date of receipt of the said proposal and if the Authority does not offer comments or seek clarifications during the said period, the revised fee as proposed by the Concessionaire shall be deemed to have been confirmed by the Authority.

[F. No. RW/NH-37011/47/2007-PIC]

PRABHAKAR, Dy. Secy.

5002GI/2007—2

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.